न्यायालय अपर जिला कलक्टर, नागौर

बइजलास – मोहन लाल खटनावलिया, आर0ए0एस0

रसद मामला संख्या– 63/2022

प्रार्थी	**बनाम**	**अप्रार्थी**
राजस्थान सरकार जरिये रामावतार पूनिया, प्रवर्तन निरीक्षक (अभियोजन) जिला रसद कार्यालय, नागौर		जगदीश पुत्र ओमप्रकाश जाट निवासी खेराट तहसील जायल जिला नागौर।

उपस्थिति :–

1. प्रवर्तन निरीक्षक (अभियोजन) श्री रामावतार पूनिया प्रार्थी की ओर से।
2. श्री राजेश चौधरी अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से।

दिनांक –03.01.2023

निर्णय

प्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए के तहत यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण में सीज सुदा ट्रेक्टर नं. आर.जे.21 आरएफ. 5004 को राजसात करने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से दिनांक 12.12.2022 को श्री राजेश चौधरी अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया।

1. उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी की ओर से प्रवर्तन अधिकारी (अभियोजन) ने बहस में कथन किया कि –

1(i) रसद मामला संख्या 118/2021 सरकार बनाम डालुभाई डाहयाजी भील वगैराह में वाहन संख्या जी.जे. 12 जेड 3673 मय 16900 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ को जब्त कर श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय के समक्ष आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त वाहन मय पेट्रोलियम पदार्थ को राजसात करने का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया था। श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.10.2022 में उक्त वाहन मय पेट्रोलियम पदार्थ को समपहरण (Confiscate) करने का निर्णय पारित किया गया था।

1(ii) थानाधिकारी सुरपालिया के पत्र क्रमांक 1722 दिनांक 01.10.2022 पत्र द्वारा जिला रसद अधिकारी को अवगत करवाया है कि उक्त प्रकरण में दर्ज मुकदमा नम्बर 73/21 जुर्म धारा 3/7 ईसी एक्ट की दौराने तफ्तीश एक ट्रेक्टर नम्बर आर.जे. 21 आरएफ. 5004 मय पीछे जुडा हुआ पानी का टैंकर जो वांछित होने से जरिये फर्द जब्ती के दिनांक 01.11.2021 को टैंकर के अन्दर व बाहर तरल पदार्थ लगा हुआ होने से वास्ते वजह सबूत जब्त किया गया। जगदीश पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासी खेराट थाना सुरपालिया को दिनांक 27.04.2022 को दस्तयाब कर बाद पूछताछ व जरिये चैक लिस्ट व फर्द गिरफतारी के गिरफतार किया जाकर अनुसंधान किया गया, मुलजिम जगदीश के ट्रेक्टर नम्बर आरजे. 21 आरएफ. 5004 के कागज प्राप्त कर शामिल पत्रावली किये गये। मुलजिम जगदीश जो कि जरिये 500 रूपये के स्टाम्प की लिखापढी की, के दिनांक 18.10.2021 से उक्त ट्रेक्टर का मालिक है।

1(iii) थानाधिकारी सुरपालिया के पत्र क्रंमाक 1722 दिनांक 01.10.2022 के क्रम में जिला रसद कार्यालय के पत्रांक रसद/अभि/2022/2699 दिनांक 16.11.22 द्वारा थानाधिकारी पुलिस थाना सुरपालिया से रिपोर्ट मांगी गई कि ट्रेक्टर पीछे लगे टैंकर से सैम्पल नमूनें लिये गये अथवा नहीं, अगर सैम्पल लिये गये तो सैम्पल रिपोर्ट प्राप्त हुई या नहीं। साथ ही यह भी चाहा गया था कि उक्त ट्रेक्टर मय टैंकर से उक्त प्रकरण मे पेट्रोलियम पदार्थ का परिवहन किया जा रहा था।

1(iv) थानाधिकारी पुलिस थाना सुरपालिया के पत्र क्रमांक 2121 दिनंक 22.11.2022 द्वारा अवगत कराया कि मुकदमा नम्बर 73 दिनांक 31.10.2021 जुर्म धारा 3/7 ईसी एक्ट पुलिस थाना सुरपालिया में ट्रेक्टर नम्बर आर.जे. 21 आर.एफ. 5004 मय पीछे जुडा हुआ पानी का टैंकर का थानाधिकारी सोहनसिंह एसआई पुलिस थाना सुरपालिया मय जाब्ता द्वारा दिनांक 01.11.2021 को प्रकरण हाजा के घटना स्थल पर से वास्ते प्रकरण हाजा में अवैध पेट्रोलियम पदार्थ को परिवहन करने में प्रयुक्त लेने हेतु मौके पर खडे मिले ट्रेक्टर नम्बर आर.जे. 21 आर.एफ. 5004 मय पीछे जुडा हुआ पानी का टैंकर को वास्ते वजह जब्त किया गया था। उस समय ट्रेक्टर नम्बर आर.जे 21 आर.एफ. 5004 को पीछे जुडा हुआ पानी का टैंकर के अंदर व बाहर की तरफ चिकनापन लगा व उस पर बालू मिट्टी लगी हुई थी जो सैम्पल उठाने योग्य नहीं था। इस कारण उक्त ट्रेक्टर के पीछे जुडा हुआ पानी के टैंकर से नमूना सैम्पल नहीं लिया गया। अप्रार्थी जगदीश पुत्र ओमप्रकाश जाट निवासी खेराट तहसील जायल जिला नागौर का यह कृत्य मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के खण्ड–2(क)(ख)(च–i) (ढ)(द) एवं 3 का स्पष्ट उल्लंघन है जो दण्डनीय अपराध है।

अपर कलक्टर, नागौर

2. अप्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि यह घटना 31.10.2021 की है। जबकि ट्रेक्टर व टैंकर को दिनांक 01.11.2021 को सुबह अप्रार्थी के घर से जब्त किया गया। जब्त करते समय टैंकर खाली था। अप्रार्थी एवं ट्रेक्टर मय पानी का टैंकर को केवल शक के आधार पर पकडा गया।

3. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। सम्पूर्ण पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया गया। थानाधिकारी पुलिस थाना सुरपालिया के पत्र क्रमांक 2121 दिनंक 22.11.2022 द्वारा बताया कि मुकदमा नम्बर 73 दिनांक 31.10.2021 जुर्म धारा 3/7 ईसी एक्ट पुलिस थाना सुरपालिया में ट्रेक्टर नम्बर आर.जे. 21 आर.एफ. 5004 मय पीछे जुडा हुआ पानी का टैंकर का थानाधिकारी सोहनसिंह एसआई पुलिस थाना सुरपालिया मय जाब्ता द्वारा दिनांक 01.11.2021 को प्रकरण हाजा के घटना स्थल पर से वास्ते प्रकरण हाजा में अवैध पेट्रोलियम पदार्थ को परिवहन करने में प्रयुक्त लेने हेतु मौके पर खडे मिले ट्रेक्टर नम्बर आर.जे. 21 आर.एफ. 5004 मय पीछे जुआ पानी का टैंकर को वास्ते वजह जब्त करना बताया, जबकि अप्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में ट्रेक्टर मय टैंकर को अप्रार्थी के घर से जब्त करना बताया परन्तु इसका कोई ठोस सबूत न्यायालय में पेश नही किया कि टैक्टर मय टैंकर को अप्रार्थी के घर से ही जब्त किया तथा अप्रार्थी का प्रकरण में लिप्त नहीं होने का भी अप्रार्थी के अधिवक्ता ने ऐसा भी कोई साक्ष्य न्यायालय में पेश नहीं किया, जिससे अप्रार्थी का उक्त घटना में लिप्त होना प्रतीत होता है। जिससे अप्रार्थी जगदीश पुत्र ओमप्रकाश जाट निवासी खेराट तहसील जायल जिला नागौर का यह कृत्य मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के खण्ड–2(क)(ख)(च–i) (ढ)(द) एवं 3 का स्पष्ट उल्लंघन है जो दण्डनीय अपराध है।

4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम स्वीकार किया जाता है। प्रकरण में जब्त सुदा वाहन ट्रेक्टर नम्बर आर.जे. 21 आर.एफ. 5004 मय पीछे जुडा पानी का टैंकर को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत् समपहरण (Confiscate) करने के आदेश दिये जाते है। उक्त जब्तसुदा वाहन का समपहरण (Confiscate) करने के विकल्प मे अप्रार्थी जगदीश पुत्र ओमप्रकाश जाट निवासी खेराट तहसील जायल जिला नागौर पर रूपये 50,000/– अक्षरे पच्चास हजार रूपये शास्ति आरोपित की जाती है जुर्माना राशि 30 दिवस में जिला रसद अधिकारी नागौर के यहां जमा करवाने के आदेश दिये जाते है, 30 दिवस में जुर्माना राशि जमा नहीं करवाने पर वाहन को नीलाम कर, नीलामी से प्राप्त राशि राजकोष में जमा करवाने के आदेश दिये जाते है। उक्त राशि राजकीय राशि घोषित की जाती है। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी नागौर को पालनार्थ भिजवाई जावे।

5. निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहन लाल खटनावलिया),
अपर जिला कलक्टर,
नागौर

अपर कलक्टर, नागौर